



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266373
CG-DL-E-25092025-266373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4238]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947

No. 4238]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

[विदेश व्यापार महानिदेशालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

सं. 33/2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 10 के अंतर्गत गैर-बासमती चावल की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4357(अ).— विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति), अध्याय 10 के संबंधित आइटीसी (एचएस) कोडों के तहत गैर-बासमती चावल के निर्यात को नियंत्रित करने वाली निम्नलिखित अतिरिक्त नीतिगत शर्त को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार निर्धारित करती है :—

आइटीसी (एचएस) कोड	विवरण	निर्यात नीति	अतिरिक्त नीतिगत शर्त
1006 3011 1006 3019 1006 3091 1006 3099 1006 4000	गैर-बासमती चावल	मुक्त	निर्यात केवल कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ अनुबंध के पंजीकरण के अधीन अनुमत है।

अधिसूचना का प्रभाव: गैर-बासमती चावल की निर्यात नीति में अतिरिक्त शर्त शामिल करके इस सीमा तक संशोधन किया गया है कि गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति केवल एपीडा के साथ अनुबंध के पंजीकरण के आधार पर दी जाएगी।

[फा. सं. 01/91/171/010/एम23ईसी/ई-33294]

अजय भादू, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department Of Commerce)
[Directorate General Of Foreign Trade]

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2025

No. 33 /2025-26

Subject: Amendment in Export Policy of Non-Basmati Rice under Chapter 10 of Schedule- II (Export Policy) of ITC (HS) 2022 -regarding.

S.O. 4357(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and in pursuance of Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby prescribes the following additional policy conditions governing the export of Non-Basmati Rice under the relevant ITC (HS) codes of Chapter 10 , Schedule II (Export Policy) of ITC (HS), 2022 with immediate effect, as follows :-

ITC (HS) codes	Description	Export Policy	Additional Policy Condition
1006 3011 1006 3019 1006 3091 1006 3099 1006 4000	Non-Basmati Rice	Free	Export allowed subject to registration of contracts with Agricultural and Food Products Export Development Authority (APEDA).

Effect of the Notification: Export Policy of Non-Basmati Rice has been amended by incorporating an additional policy condition to the extent that export of Non-Basmati Rice shall be permitted only upon registration of contracts with the APEDA.

[F. No. 01/91/171/010/AM23EC /E-33294]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. & Director General of Foreign Trade